



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102026-277064
CG-DL-E-12102026-277064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5326]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 5326]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5538(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4414(E) तारीख 07/08/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में NH 80 के किमी0 190.00 से किमी0 215.00 (साहेबगंज बायपास सहित) और किमी0 260.00 से किमी0 283.00 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख “तारीख 14/08/2026 को “ दैनिक भास्कर (हिन्दी)“ और “ द पायोनियर (अंग्रेजी)“ दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में NH80 के किमी0 190.00 से किमी0 215.00 (साहेबगंज बायपास सहित) और किमी0 260.00 से किमी0 283.00 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड			जिले का नाम: साहिबगंज		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: उधवा					
गांव का नाम: केलाबाड़ी					
1	541	निजी (धानी दायम,)	एग्रीकल्चर	0.114	रामधनी भगत पिता भीखन भगत
2	542	निजी (धानी दायम,)	एग्रीकल्चर	0.0251	रामधनी भगत पिता भीखन भगत
3	553	निजी (धानी औवल ,)	एग्रीकल्चर	0.063	रामधनी भगत पिता भीखन भगत
तालुक का नाम: बरहरवा					
गांव का नाम: थोपग्राम					
4	843	सरकारी (सड़क,)	नॉन एग्रीकल्चर	0.153	अनावादी
5	922	निजी (बाड़ी दायम ,)	एग्रीकल्चर	0.0293	गंगाधर धोबी वो हृदय धोबी वो रामेश्वर धोबी वो मन्टू धोबी
6	924	निजी (धानी औवल,)	एग्रीकल्चर	0.0738	मवला बक्स शेख व बोगदार शेख व सिराजुद्दीन शेख व नासिरुद्दीन शेख पिता रहमत शेख वो नसीरुद्दीन शेख व एतवारी शेख पिता डिगरू शेख वो मोराताली शेख वो एकदार शेख पिता बाबू शेख
7	925	निजी (धानी औवल,)	एग्रीकल्चर	0.0042	मवला बक्स शेख व बोगदार शेख व सिराजुद्दीन शेख व नासिरुद्दीन शेख पिता रहमत शेख वो नसीरुद्दीन शेख व एतवारी शेख पिता डिगरू शेख वो मोराताली शेख वो एकदार शेख पिता बाबू शेख

8	926	सरकारी (वटस्थान,)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0192	अनावादी
9	930	निजी (धानी सोयम,)	एग्रीकल्चर	0.0065	चुडकू तुरी पिता गणपत तुरी
10	942	निजी (धानी सोयम,)	एग्रीकल्चर	0.0162	रेशमा बीबी पति दिलजान शेख
11	943	निजी (धानी दोयम,)	एग्रीकल्चर	0.0587	पुलो दासी वो सुन्दरी दासी पति राजोनीकान्त राय
12	944	निजी (धानी सोयम,)	एग्रीकल्चर	0.0065	मुकुन्द लाल मंडल पिता राम चरण मंडल
गांव का नाम: मसलंदपुर					
13	177	निजी (धानी औवल,)	एग्रीकल्चर	0.0292	अमरुल्ला मंडल, पिता हाजीगलीम मंडल
14	179	निजी (धानी औवल,)	एग्रीकल्चर	0.1446	राधा विनोद साहुन पति पारिलाप साहा
15	180	निजी (धानी औवल,)	एग्रीकल्चर	0.0091	तारणीचरण तिवारी, पिता राजनाथ तिवारी
16	185	निजी (धानी दोयम,)	एग्रीकल्चर	0.0054	तारणीचरण तिवारी, पिता राजनाथ तिवारी
17	189	निजी (धानी दोयम,)	एग्रीकल्चर	0.0283	तारणीचरण तिवारी, पिता राजनाथ तिवारी
18	190	निजी (धानी दोयम,)	एग्रीकल्चर	0.1026	इसराईल शेख वो आमजादु शेख पिता अब्दुल शेख
गांव का नाम: महतापुर					
19	108	निजी (धानी दोयम,)	एग्रीकल्चर	0.0175	मजरातन बीबी पति शेख अबुल हुसैन और एबरार हुसैन शेख पिता तासुक हुसैन शेख
20	109	निजी (धानी औवल,)	एग्रीकल्चर	0.255	मजरातन बीबी पति शेख अबुल हुसैन और एबरार हुसैन शेख पिता तासुक हुसैन शेख
Total				1.1612	

[फा. सं. NHAI/PD/PIU/SBG/NH-80/LA / PKG-II/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2026

S.O. 5538(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 4414(E) Dated:07/08/2026 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and

operation of NH 80 in the stretch of land from Km. 190.00 to Km. 215.00 (including Sahibganj Bypass), and from Km. 260.00 to Km. 283.00 in the district of SAHIBGANJ in the state of JHARKHAND

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhaskar (Hindi) and The Pioneer (English)" both dated 14/08/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH80 in the stretch of land from Km. 190.00 to Km. 215.00 (including Sahibganj Bypass), and from Km. 260.00 to Km. 283.00 in the district of SAHIBGANJ in the state of JHARKHAND.

State: JHARKHAND			District: SAHIBGANJ		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Udhwa					
Village: Kelabadi					
1	541	Private (Dhani Doyam,)	Agriculture	0.114	Ramdhani Bhagat S/o Bhikhan Bhagat
2	542	Private (Dhani Doyam,)	Agriculture	0.0251	Ramdhani Bhagat S/o Bhikhan Bhagat
3	553	Private (Dhani Owal ,)	Agriculture	0.063	Ramdhani Bhagat S/o Bhikhan Bhagat
Taluk: Barharwa					
Village: Thopgram					
4	843	Government (Road,)	Non Agriculture	0.153	Anabadi
5	922	Private (Bari Doyam,)	Agriculture	0.0293	Gangadhar Dhobi wo Hriday Dhobi, wo Rameshwar Dhobi wo Mantu Dhobi
6	924	Private (Dhani Owal ,)	Agriculture	0.0738	Mowla Baksh shekh wo Bogdar Shekh wo Sirajuddin shekh wo Nasiruddin Shekh S/o Rahmat Shekh wo Nasiruddin Shekh wo Etwari Shekh S/o Digru Shekh wo Moratali Shekh wo Ekdar Shekh S/o Babu Shekh
7	925	Private (Dhani Owal ,)	Agriculture	0.0042	Mowla Baksh shekh wo Bogdar Shekh wo Sirajuddin shekh wo Nasiruddin Shekh S/o Rahmat Shekh wo Nasiruddin Shekh wo Etwari Shekh S/o Digru Shekh wo Moratali Shekh wo Ekdar Shekh S/o Babu Shekh
8	926	Government (Vatsthan,)	Non Agriculture	0.0192	Anabadi
9	930	Private (Dhani Soyam,)	Agriculture	0.0065	Chudku Turi S/o Ganpat Turi
10	942	Private (Dhani Soyam,)	Agriculture	0.0162	Reshma Bibi, W/o Diljaan Shekh
11	943	Private (Dhani Doyam,)	Agriculture	0.0587	Pulo Dasi wo Sundari Dasi W/o Rajonikant

					Rai
12	944	Private (Dhani Soyam,)	Agriculture	0.0065	Mukund Lal Mandal S/o Ram charan Mandal
Village: Maslandpur					
13	177	Private (Dhani Owai ,)	Agriculture	0.0292	Amrulla Mandal S/o Hajigalim Mandal
14	179	Private (Dhani Owai ,)	Agriculture	0.1446	Radha Vinod Sahun, W/o Parilap Saha
15	180	Private (Dhani Owai ,)	Agriculture	0.0091	Tarnicharan Tiwari S/o Rajnath Tiwari
16	185	Private (Dhani Doyam,)	Agriculture	0.0054	Tarnicharan Tiwari S/o Rajnath Tiwari
17	189	Private (Dhani Doyam,)	Agriculture	0.0283	Tarnicharan Tiwari S/o Rajnath Tiwari
18	190	Private (Dhani Doyam,)	Agriculture	0.1026	Israil Shekh, wo Aamjadu Shekh S/o Abdul Shekh
Village: Mahatapur					
19	108	Private (Dhani Doyam,)	Agriculture	0.0175	Majratan Bibi W/o Shekh Abul Hussain and Ebrar Hussain Shekh S/o Tasuk Hussain Shekh
20	109	Private (Dhani Owai ,)	Agriculture	0.255	Majratan Bibi, W/o Shekh Abul Hussain and Ebrar Hussain Shekh S/o Tasuk Hussain Shekh
Total				1.1612	

[F. No. NHAI/PD/PIU/SBG/NH-80/LA / PKG-II/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director